01/09/2022

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

प्रार्थी/प्रतिवादी वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी को बार-बार फोन-सन्देश पर न्यायालय समय में न्यायालय समय समाप्ति तक आवाजें लगवाई गई। बावजूद वकील प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थिति नहीं हुआ। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर अग्रिम पेशी पर अग्रिम किया जाता है। प्रमाणीकृत नकल देकर पेशकार फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नियत आज दिनांक 01/09/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अरशदीप ब्रार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.15 14:45:31 IST
Reason: SelfAttested